भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4318

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एम्बुलेंस

4318. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण देश में संचालित एम्बुलेंस (कार्यशील और अकार्यशील), एक्टिव एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) और बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एम्बुलेंस की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है;
(ख) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2022 से उत्तर प्रदेश राज्य में एएलएस और बीएलएस एम्बुलेंस की संख्या के आंकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इन एम्बुलेंस के रखरखाव के लिए स्वीकृत धनराशि का उचित उपयोग किया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार एम्बुलेंस और उसमें रखे उपकरणों का कोई लेखा-परीक्षा करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के सहयोग से राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा (एनएएस) के अंतर्गत देश भर में प्रचालित एंबुलेंसों की कुल संख्या 28,830 है और एनएचएम के सहयोग के बिना 11,615 एंबुलेंस प्रचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने सूचित किया है कि वाहन पोर्टल पर सभी प्रकार की 1,90,138 एम्बुलेंस पंजीकृत की गई हैं। एनएचएम के तहत बिना सहायता के चल रही एक्टिव एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएलएस) और बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एंबुलेंसों सहित कार्यशील एम्बुलेंसों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस डेटा को अद्यतन करती है। एनएचएम के तहत वर्ष 2022 से उत्तर प्रदेश में कार्यशील एम्बुलेंस की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है: -

राज्य	**2022**		**2023**		**2024**	
	एएलएस	बीएलएस	एएलएस	बीएलएस	एएलएस	बीएलएस
उत्तर प्रदेश	250	4470	250	4470	250	4470

(ग) और (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत एम्बुलेंसों के रख-रखाव के लिए निधियां व्यय लागत में अंतर्निहित हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन-सीमा के भीतर उनके संबंधित कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना प्रस्तावों में उनके द्वारा किए गए प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जा रही हैं। एनएचएम के माध्यम से नियमित समीक्षा बैठकों और क्षेत्र दौरों के माध्यम से एम्बुलेंसों के कार्यान्वयन की प्रगति और कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पूरे देश में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। "जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल" राज्य का विषय है, इसलिए उनकी कार्यात्मकता एवं प्रचालनात्मकता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित संख्या में एम्बुलेंसों के प्रयास सहित जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का है।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 20.12.2024 को उत्तर के लिए सुश्री इकरा चौधरी, माननीय संसद-सदस्य द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एम्बुलेंसो" के संबंध में पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4318 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

स्वास्थ्य विभाग की क्रियाशील एम्बुलेंस का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	एनएचएम के तहत क्रियाशील एम्बुलेंस				एनएचएम के अलावा अन्य क्रियाशील एम्बुलेंस			
		एएल एस	बी एल एस	अन्य	कुल	एएल एस	बीएलएस	अन्य	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	26	0	26	0	29	0	29
2	आंध्र प्रदेश	105	523	0	628	84	56	0	140
3	अरुणाचल प्रदेश	0	112	149	261	0	0	113	113
4	असम	14	779	7	800	0	0	649	649
5	बिहार	576	1082	0	1658	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	6	0	6	1	8	0	9
7	छत्तीसगढ़	30	296	380	706	4	52	401	457
8	दादरा और नागर हवेली और दमन एवं दीव	0	0	11	11	5	19	5	29
9	दिल्ली	0	97	84	181	24	27	148	199
10	गोवा	27	0	4	31	32	68	35	135
11	गुजरात	175	425	20	620	64	335	1324	1723
12	हरियाणा	55	265	261	581	0	0	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	35	213	156	404	6	0	205	211
14	जम्मू और कश्मीर	139	64	286	489	0	0	611	611
15	झारखंड	125	418	1633	2176	0	0	0	0
16	कर्नाटक	231	484	166	881	82	1044	0	1126
17	केरल	0	315	0	315	0	0	468	468
18	लद्दाख	22	0	5	27	9	11	90	110
19	लक्षद्वीप	0	0	17	17	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	167	835	1059	2061	0	0	0	0
21	महाराष्ट्र	233	704	3288	4225	0	0	3274	3274
22	मणिपुर	0	0	33	33	18	47	19	84
23	मेघालय	12	38	142	192	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	65	65	0	0	95	95
25	नागालैंड	0	27	66	93	2	0	10	12
26	ओडिशा	411	449	506	1366	0	0	304	304
27	पुद्दूचेरी	0	10	0	10	0	43	0	43
28	पंजाब	0	0	0	0	25	300	114	439
29	राजस्थान	147	797	45	989	0	0	0	0
30	सिक्किम	0	8	0	8	0	0	31	31
31	तमिलनाडु	205	1148	0	1353	0	0	950	950
32	तेलंगाना	31	425	0	456	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	0	50	0	50	9	11	0	20
34	उत्तर प्रदेश	250	4470	0	4720	0	0	0	0
35	उत्तराखंड	54	217	129	400	0	0	160	160
36	पश्चिम बंगाल	0	1000	1991	2991	65	17	112	194
	कुल	**3044**	**15283**	**10503**	**28830**	**430**	**2067**	**9118**	**11615**

स्रोत: एनएचएम- एमआईएस, जून 2024

*****